फार्म–क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की धारा–2 के अर्न्तगत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1–परियोजना विवरण

(i) आपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना का संक्षिप्त विवरण।	सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत राप्ती मुख्य नहर का निर्माण (संक्षिप्त विवरण संलग्न है) संलग्नक–1
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आप–पास के वनों की सीमाओं को दर्शानें वाला मैप।	मैप संलग्न है। (संलग्नक–2)
(iii) परियोजना की लागत।	रू0 7270.32 करोड़
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत राप्ती मुख्य नहर की कुल लम्बाई 125.00 किमी0 निर्मित होना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत राप्ती नदी पर श्रावस्ती जनपद के लक्ष्मनपुर ग्राम के निकट राप्ती बैराज निर्मित है। उक्त स्थल से ही राप्ती मुख्य नहर का निर्माण प्रस्तावित है इस प्रस्तावित नहर के किमी0 0.450 से आरक्षित वन क्षेत्र से होकर ही नहर निकाले जाने की बाध्यता है। जिससे नहर निर्माण के पश्चात 2.294 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी।
(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये।)	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है। (संलग्नक–3)
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	2.50 लाख मानव दिवस
2–कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	राप्ती मुख्य नहर किमी0 0.450 से किमी0 6.600 के मध्य आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरेगी जिसमें 60.150 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। इस मुख्य नहर के निर्माण से उ0प्र0 के जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर, बस्ती एवं सन्तकबीर नगर आदि जनपद की असिंचित भूमि में 2.294 लाख हे0 सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
3–परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है?	
(i) परिवारों की संख्या।	––शून्य––
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	––शून्य––
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)।	––शून्य––
4–क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हॉ या नहीं)	परियोजना प्राक्कलन के स्वीकृति के समय ही पर्यावरण से सम्बन्धित मजूंरी प्राप्त है। उक्त सम्बन्धित आदेश संलग्न है। (संलग्नक–4)
5–प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता की जाय)	वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–5)
6–निर्देशो के अनुसार संलग्न आपेक्षित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का विवरण।	संलग्नक क्रम 01 से 0[illegible] तक संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–6,
बहराइच

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–6,
बहराइच

AD PK L1

भाग–2
(सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0

7. परियोजना/स्कीम का स्थान :– राप्ती मुख्य नहर का निमार्ण कार्य कि0मी0 0.450 से 6.600 तक

I. राज्य/संघ शासित :– उत्तर प्रदेश

II. जिला :– श्रावस्ती

III. वन विभाग :– श्रावस्ती वन प्रभाग

IV. वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0में) :– 60.150 हें0

V. वन भूमि की कानूनी स्थिति :– आरक्षित वन

VI. हरयाली का घनत्व :– 0.6

VII. प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर0एल0एफ0एल0 2 मीटर पर परिगणना और एक आर0एल0 4 मी0 भी संलग्न किया जाए। :– संलग्न है।

VIII. भूरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। :– भू क्षरण के लिए संवेदनशील नही है।

IX. वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल सीमा अनुमानित दूरी। :–लगभग 50 कि0मी0 से अधिक। सिंचाई विभाग की द्वारा ग्राम सोनवा परगना व त0–नानपारा जनपद–बहराइच में 60.150 हे0 भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

X. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यरण जैवमण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि भाग है। (यदि हॉ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डेन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए।) :– नही है।

XII. क्या वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दे। प्रमुख वन्य जीव वार्डेन की टिप्पणियां अनुबन्धित :– नही है।

X. क्या कोई सुरक्षित पुरात्तावीय/पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्तवपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी अनापत्ती प्रमाण–पत्र के साथ आपेक्षित हो तो दें। :– नही ।

8. प्रयोक्ता एजेनसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम यदि नही है तो, जाने गये विकल्पों के ब्यौरो के मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि 60.150 हे0 को न्यूनतम वन भूमि बताया गया है। संलग्नक–1 संलग्न मानचित्र के अनुसार यह प्रस्तावित वन क्षेत्र न्यूनतम है सिचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संलग्नक मानचित्र के अनुसार तीन विकल्पों पर अध्ययन किया गया जिसमें से विकल्प सं0–3 चयनित करने से न्यूनतम वन भूमि प्रयुक्त होगी।

9. क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (नही) यदि हां तों कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। :– नही।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम ब्यौरा :–

I- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। :– प्रस्तावित क्षेत्र दूसरे जनपद बहराइच में दिया दिया गया है। प्रस्तावित भूमि 60.150 हे0 है।

II- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :– मानचित्र संलग्न है।

III-रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कारण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। :– संलग्न है।

IV- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कु वित्तीय परिव्यय :– प्रस्तावित राप्ती मुख्य नहर का यह भाग महत्तवपूर्ण वृक्ष प्रजातियों से अच्छाादित वन क्षेत्र से गुजर रही है।

(1)60.150 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक रू0–5613540.00

(2)हरित पट्टी विकास हेतु धनराशि रू0–12091510

(3) 12.5% सेन्टेज चार्ज रू0–2213131.00

(4) कुल योग रू0–19918181.00

V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से नही है प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक हस्ताक्षर किया जाएं। :– सिचाई विभाग द्वारा अब जो भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है वह दूसरे जनपद बराइच में स्थित है। भूमि एक पैंच में होने के कारण प्रबन्धन में उपयुक्त है।

11- जिला वन संरक्षक स्थल निरीण विशेषता उर्पयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :– प्रमाण पत्र संलग्न है।

12– विभाग/जिला प्रोफाइल

I- जिले का भौगोलिक क्षेत्र	:–	193147.00 हे0
II- जिला का वन क्षेत्र	:–	34353.00 हे0
III- मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	:–	प्रमाण पत्र संलग्न
IV- 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	:–	21.06 हे0
(क) दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	:–	–
(ख) वनेतर भूमि पर।	:–	–
V- प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।	:–	21.06 हे0
(क) वन भूमि पर	:–	21.06 हे0
(ख) वनेतर भूमि पर।	:–	शून्य

13– प्रस्ताव को स्वीकार कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक के विशेष सिफारिश। :– प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

स्थान श्रावस्ती :– भिनगा

दिनांक 21-5-2013 :–

क्षेत्रीय वनाधिकारी
रेंज–ककरदरी

प्रभागीय वनाधिकारी
श्रावस्ती वन प्रभाग
श्रावस्ती।

भाग–3

(सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

13. स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। : नही

14. क्या सम्बंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दे गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। : हां/सहमत

15. प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा बारे में सम्बंधित संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। : प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि :– 27-05-2013

स्थान :– गोण्डा

वन संरक्षक
देवी पाटन वृत्त
उ0प्र0 गोण्डा।

भाग—4

(मण्डल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

16 टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

Recommended for approval

हस्ताक्षर

तिथि 31/5/13

फार्म–क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की धारा–2 के अर्न्तगत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1–परियोजना विवरण

(i) आपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना का संक्षिप्त विवरण।	सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत राप्ती मुख्य नहर का निर्माण (संक्षिप्त विवरण संलग्न है) संलग्नक–1
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आप–पास के वनों की सीमाओं को दर्शानें वाला मैप।	मैप संलग्न है। (संलग्नक–2)
(iii) परियोजना की लागत।	रू0 7270.32 करोड़
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत राप्ती मुख्य नहर की कुल लम्बाई 125.00 किमी0 निर्मित होना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत राप्ती नदी पर श्रावस्ती जनपद के लक्ष्मनपुर ग्राम के निकट राप्ती बैराज निर्मित है। उक्त स्थल से ही राप्ती मुख्य नहर का निर्माण प्रस्तावित है इस प्रस्तावित नहर के किमी0 0.450 से आरक्षित वन क्षेत्र से होकर ही नहर निकाले जाने की बाध्यता है। जिससे नहर निर्माण के पश्चात 2.294 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी।
(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये।)	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है। (संलग्नक–3)
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	2.50 लाख मानव दिवस
2–कुल आपेक्षित भूमि का उद्‌देश्यवार विवरण।	राप्ती मुख्य नहर किमी0 0.450 से किमी0 6.600 के मध्य आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरेगी जिसमें 60.150 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। इस मुख्य नहर के निर्माण से उ0प्र0 के जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर, बस्ती एवं सन्तकबीर नगर आदि जनपद की असिंचित भूमि में 2.294 लाख हे0 सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
3–परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है?	
(i) परिवारों की संख्या।	—शून्य—
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	—शून्य—
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)।	—शून्य—
4–क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हॉ या नहीं)	परियोजना प्राक्कलन के स्वीकृति के समय ही पर्यावरण से सम्बन्धित मजूंरी प्राप्त है। उक्त सम्बन्धित आदेश संलग्न है। (संलग्नक–4)
5–प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता की जाय)	वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक–5)
6–निर्देशो के अनुसार संलग्न आपेक्षित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का विवरण।	संलग्नक क्रम 01 से 0[illegible] तक संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–6,
बहराइच

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–6,
बहराइच

भाग–2
(सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	:– राप्ती मुख्य नहर का निमार्ण कार्य कि0मी0 0.450 से 6.600 तक
I.	राज्य/संघ शासित	:– उत्तर प्रदेश
II.	जिला	:– श्रावस्ती
III.	वन विभाग	:– श्रावस्ती वन प्रभाग
IV.	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0में)	:– 60.150 हें0
V.	वन भूमि की कानूनी स्थिति	:– आरक्षित वन
VI.	हरयाली का घनत्व	:– 0.6
VII.	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर0एल0एफ0एल0 2 मीटर पर परिगणना और एक आर0एल0 4 मी0 भी संलग्न किया जाए।	:– संलग्न है।
VIII.	भूरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:– भू क्षरण के लिए संवेदनशील नही है।
IX.	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल सीमा अनुमानित दूरी।	:–लगभग 50 कि0मी0 से अधिक। सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम सोनवा परगना व त0–नानपारा जनपद–बहराइच में 60.150 हे0 भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।
X.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यरण जैवमण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि भाग है। (यदि हॉ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डेन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए।)	:– नही है।
XII.	क्या वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दे। प्रमुख वन्य जीव वार्डेन की टिप्पणियां अनुबन्धित	:– नही है।
X.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तावीय/पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्तवपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी अनापत्ती प्रमाण–पत्र के साथ आपेक्षित हो तो दें।	:– नही ।

8. प्रयोक्ता एजेनसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम यदि नही है तो, जाने गये विकल्पों के ब्यौरो के मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि 60.150 हे0 को न्यूनतम वन भूमि बताया गया है। संलग्नक–1 संलग्न मानचित्र के अनुसार यह प्रस्तावित वन क्षेत्र न्यूनतम है सिचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संलग्नक मानचित्र के अनुसार तीन विकल्पों पर अध्ययन किया गया जिसमें से विकल्प सं0–3 चयनित करने से न्यूनतम वन भूमि प्रयुक्त होगी।

9. क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (नही) यदि हां तों कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। :– नही।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम ब्यौरा :–

I- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। :– प्रस्तावित क्षेत्र दूसरे जनपद बहराइच में दिया दिया गया है। प्रस्तावित भूमि 60.150 हे0 है।

II- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :– मानचित्र संलग्न है।

III-रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कारण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। :– संलग्न है।

IV- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कु वित्तीय परिव्यय :– प्रस्तावित राप्ती मुख्य नहर का यह भाग महत्तवपूर्ण वृक्ष प्रजातियों से अच्छाादित वन क्षेत्र से गुजर रही है।

(1)60.150 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक रु0–5613540.00
(2)हरित पट्टी विकास हेतु धनराशि रु0–12091510
(3) 12.5% सेन्टेज चार्ज रु0–2213131.00
(4) कुल योग रु0–19918181.00

V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से नही है प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक हस्ताक्षर किया जाएं। :– सिचाई विभाग द्वारा अब जो भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है वह दूसरे जनपद बराइच में स्थित है। भूमि एक पैंच में होने के कारण प्रबन्धन में उपयुक्त है।

(5)

11-	जिला वन संरक्षक स्थल निरीण विशेषता उर्पयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	:–	प्रमाण पत्र संलग्न है।
12–	विभाग / जिला प्रोफाइल		
I-	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	:–	193147.00 हे0
II-	जिला का वन क्षेत्र	:–	34353.00 हे0
III-	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	:–	प्रमाण पत्र संलग्न
IV-	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	:–	21.06 हे0
(क)	दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	:–	–
(ख)	वनेतर भूमि पर।	:–	–
V-	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।	:–	21.06 हे0
(क)	वन भूमि पर	:–	21.06 हे0
(ख)	वनेतर भूमि पर।	:–	शून्य
13–	प्रस्ताव को स्वीकार कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक के विशेष सिफारिश।	:–	प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

स्थान श्रावस्ती :– भिनगा

दिनांक 21-5-2013 :–

क्षेत्रीय वनाधिकारी
रेंज–ककरदरी

प्रभागीय वनाधिकारी
श्रावस्ती वन प्रभाग
श्रावस्ती।

भाग–3

(सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

13.	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां / नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	:	नही
14.	क्या सम्बंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दे गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	:	हां / सहमत
15.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा बारे में सम्बंधित संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	:	प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि :– 27-05-2013

स्थान :– गोण्डा

वन संरक्षक
देवीपाटन वृत्त
उ0प्र0 गोण्डा।

(मुहर: वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा)

7

भाग–4

(मण्डल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

16 टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें

राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

Recommended for approval

हस्ताक्षर

तिथि 31/5/13

(8)

भाग—5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

17. राज्य की सिफारिषें :—

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए।)

तिथि 27-08-2013

स्थान लखनऊ

अनुदेष (भाग—1 के लिए)

1. परियोजना प्राधिकारी कालम 1 (I) यथा अवतन विश्लेषण रिपोर्टों आदि के साथ पर मुख्य खनिजों/सी0एम0पी0डी0आई0 योजना के लिए आई0बी0एम0 अनुमोदित खनन योजना को पूरा करने के अलावा अनुमोदित परियोजना/योजना की एक प्रति संलग्न करे।
2. मानचित्र मूल होना चाहिए और वह परियोजना होना प्राधिकारियों और सम्बंधित डी0सी0एफ0 कालम 1 (II) द्वारा संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए।
3. सड़क ट्रांस्मीशन लाइने रेलवे लाइने नहरें आदि जैसी विवरण होना चाहिए और मानचित्र में कालम 1 (III) में दिये गये प्रत्येक विकल्प में शामिल वनभूमि क्षेत्र का विवरण।
4. खनन से सम्बंधित प्रस्तावों के लिए वनेतर क्षेत्रों के चारों ओर/आस—पास में उक्त खनिज अनुउपब्धता के बारे में जिला खनन पदाधिकारी जैसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. यदि उक्त कम्पनी/व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वनभूमि ली है तो परियोजना की वर्तमान स्थित के साथ के साथ अनुलग्नक में दिये गये ऐसे सभी अनुमोदनों/पट्टों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।